फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 73 संख्याः 155 प्रभात जयपुर, गुरुवार 5 जनवरी , 2023 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

Russia-Ukraine War

Some troops carried ceremonial uniforms in preparation for a victory parade. The intelligence seems to have got the 'pro-Russian sentiment wrong'.

Life Saving Light Beam...

Migratory Birds That Brighten India Every Year | The nation extends its famed hospitality

गैलापगोस आइलैण्ड मरीन इगुआना, विशालकाय कछुओं और समुद्री पक्षियों के लिए जाना जाता है पर यहां की पैनग्विन भी बहुत विख्यात हैं। विश्व में पैनग्विन की यही एक प्रजाति है जो पृथ्वी के उत्तरी भाग में मिलती है, शेष सभी दक्षिणी भाग में मिलती हैं। हालांकि जंगली बिल्ली जैसी घुसपैठिया प्रजातियों के आने से इनकी आबादी पर असर पड़ा है लेकिन संरक्षण प्रयासों से इनकी आबादी बढ़ी है। ये पैनग्विन अफ्रीका की हमबोल्ट व मैजलैनिक पैनग्विन्स की निकट संबंधी हैं। अफ्रीका की पैनग्विन की तरह ये भी जमीन में बिल बनाकर रहती हैं, पर चूंकि, गैलापगोस आइलैण्ड पर बिल बनाने के लिए ''सॉफ्ट सॉइल'' नहीं है इसलिए ये, आइलैण्ड निर्माण के समय की लावा ट्यूब्स के खुले सिरों का इस्तेमाल बिल के रुप में करती हैं और अब इसकी आदी हो गई हैं। आइलैण्ड पर लाए गए परभक्षी भी इन्हीं में रहते थे, इसलिए पैनग्विन विशेषज्ञ एवं जीव वैज्ञानिक पी.डी. बोर्समा दूसरे आइलैण्ड्स पर, जहाँ बाहर से लाए गए परभक्षियों का दबाव कम है या बिल्कुल नहीं है, ब्लैक रॉक को काटकर पैनग्विन्स के लिए नए बिल बना रहे हैं। बोर्समा व उनके सहयोगी अब तक 120 बिल तैयार कर चुके हैं। इन नए बिलों के सर्वे से पता चला कि, अधिकांश बिलों में पैनग्विन के चूज़े थे। उन्होंने कहा, कोई नहीं जानता था कि गैलापगोस पैनग्विन इन बिलों का इस्तेमाल करेंगी या नहीं, पर हमने पाया कि, इनमें से अधिकांश का तो कई बार इस्तेमाल हो चुका है। ये नए बिलों में अंडे दे रही हैं, अण्डों को से भी रही हैं और चूज़ों को पाल-पोस रही हैं। वर्तमान में ये पैनग्विन इसाबैल और फर्नैन्डीना आइलैंड्स और बार्तोलोम में भी मिलती हैं, जहां इन्हें लोगों ने तैरते हुए देखा है। बोर्समा ने कहा, ''जब तक इन्हें अच्छी गुणवत्ता के घर मिलेंगे, इनकी आबादी बढ़ने की संभावना भी बनी रहेगी।''

नीतीश फिलहाल मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करने वाले नहीं हैं

महागठबंधन के सूत्रों ने कहा, नीतीश लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजनीति में कूदेंगे, पर तेजस्वी को अभी बिहार का मु.मंत्री पद नहीं मिलेगा

- **राजनैतिक हलकों में इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। नीतीश ने अगर मु.मंत्री पद छोड़ दिया तो विपक्ष के नेताओं में उनका दर्जा छोटा हो जाएगा।**
- **और नीतीश का मु.मंत्री बने रहना लालू यादव व उनके परिवार के लिए भी ''ढाल'' है, क्योंकि, अगर तेजस्वी मु.मंत्री बने तो लालू व उनके परिवार पर सी.बी.आई. सहित केन्द्रीय एजेंसियां टूट पड़ेंगी।**
- **लेकिन ऐसी भी खबरें हैं कि, नीतीश की पार्टी और लालू की पार्टी में मतभेद बढ़ रहे हैं। नीतीश के, जन जीवन हरियाली योजना की चतुर्थ वर्षगांठ के समारोह में तेजस्वी शामिल नहीं हुए थे।**

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 जनवरी। बिहार के गठबंधन के सूत्रों ने कहा है कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनावों तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे।

जहाँ ऐसी संभावना है कि नीतीश कुमार अगले लोकसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय राजनीति में कूद पड़ेंगे, वहीं संभावनाएं ऐसी भी हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने की अपनी बारी का इंतजार करना पड़े।

राजनैतिक सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे बहुत से कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि एक अपदस्थ मुख्यमंत्री के रूप में, कुमार की स्थिति बहुत कमजोर हो जायेगी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की नजरों में उनका दर्जा छोटा हो जायेगा। दूसरा कारण यह है कि कुमार का इस पद पर बने रहना तेजस्वी यादव तथा आर.जे.डी. अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव व उनके शेष परिजनों के लिए ढाल का काम कर रहा है क्योंकि ये सभी सी.बी.आई. तथा अन्य केन्द्रीय जाँच एजेंसियों की जाँच के निशाने पर हैं। तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में यह संभावित है कि केन्द्रीय जाँच एजेंसियाँ पूरी ताकत के साथ लालू के परिवार पर टूट पड़ेंगी। नीतीश के पद पर बने रहने से ऐसी संभावना है कि केन्द्र सरकार अपेक्षाकृत रूप से नियंत्रित रहे क्योंकि कुमार के भाजपा के साथ बहुत पुराने संबंध हैं तथा भाजपा की बहुत से गुप्त बातें उनकी जानकारी में हैं। अगर जाँच एजेंसियाँ कुमार को निशाना बनाती हैं तो यह भी संभव है कि भाजपा के बहुत से नेता भी जाँच के घेरे में आ जायें क्योंकि कुमार बहुत से मामलों से जुड़े रहे हैं। तीसरा कारण यह है कि आर.जे.डी. द्वारा अप्रिय तरीके से मुख्यमंत्री पद पर कब्जा किये जाने के परिणामस्वरूप, जे.डी.यू. टूट सकता है तथा एकजुट भाजपा में जाने की बात सोच सकता है। जाहिर है कि इस प्रकार के परिदृश्य के फलस्वरूप, महागठबंधन कमजोर हो सकता है।

हाल की दो घटनाओं ने सत्तारूढ़ गठबंधन के पार्टनरों- जे.डी.यू. तथा आर.जे.डी. के बीच बढ़ते वैमनस्य की ओर संकेत किया है। राज्य के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह, जो आर.जे.डी. के प्रांतीय अध्यक्ष जगतानन्द सिंह के पुत्र हैं, ने हाल ही में मुख्यमंत्री पर कड़ा प्रहार किया था तथा उन्हें पौराणिक पात्र ''शिखंडी'' का नाम दे दिया था, जिसका अपना कोई महत्व नहीं था।'' दूसरे, राज्य के कई मंत्री, जिनमें उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल थे, उस समारोह से दूर रहे थे, जो कुमार के प्रिय प्रोजैक्ट ''जन जीवन हरियाली योजना'' की चौथी वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। कुछ समय पहले, स्वयं मुख्यमंत्री ने ही कहा था कि तेजस्वी 2025 में, जब अगले विधानसभा चुनाव होंगे, महागठबंधन को नेतृत्व प्रदान करेंगें। इन घटनाओं के कारण ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का बदलना निकट ही है। लेकिन जैसा कहा जाता है कि राजनीति बयानों से परे की चीज होती है। महागठबंधन में, स्थितियों में संतुलन एवं सामंजस्य बनाये रखने के लिये, कुमार समय-समय पर आर.जे.डी. को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विधवा पुत्रवधु भी अनुकम्पा नियुक्ति की अधिकारी

जयपुर, 4 जनवरी (का.सं.)। हाईकोर्ट ने विधवा पुत्रवधु को भी विधवा पुत्री के समान ही निर्भर की श्रेणी में मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति का अधिकारी माना है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश सुशीला देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुनील समदरिया ने बताया कि, सुशीला देवी की सास पी.डब्ल्यु.डी. में कुली के

- **राजस्थान हाई कोर्ट ने सुशीला देवी की याचिका पर यह आदेश दिए। उसकी सास की पी.डब्ल्यु.डी. में कुली के पद पर कार्य करते हुए मौत हो गई थी।**

पद पर कार्यरत थी। 2007 में काम करते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। इस पर उसके बेटे, सुशीला देवी के पति ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। इस पर कोई फैसला होता इससे पहले ही 2008 में याचिकाकर्ता सुशीला देवी के पति की भी मृत्यु हो गई।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्नाटक चुनावों में भावनात्मक मुद्दे उठाने पर ही फोकस है भाजपा का

- **इसकी पुष्टि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नलिन कतील ने भी कर दी, जब उन्होंने बूथ विजय अभियान में एक सभा में कहा, सड़क और सीवेज जैसे मुद्दों पर बात मत करो, लव जिहाद पर ध्यान दो।**
- **कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार ने कहा कि, लोगों को विकास, भ्रष्टाचार व रोजगार से भटकाने के लिए भाजपा यह मुद्दा उठा रही है।**

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 जनवरी। कर्नाटक में युद्ध की रेखा खिंच गई है। सत्तारूढ़ भाजपा और उसे चुनौती दे रही कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने चुनावी मोर्चे संभाल लिये हैं और चुनावी रणनीतियों को धार दे रहे हैं। ऐसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी विकास एवं ग्रोथ की बजाय भावनाएं भड़काने वाले मुद्दों पर फोकस करना चाहती है। इस समय, इस बात को कहने वाला केवल विपक्ष ही नहीं है। भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष नलिन कतील ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिये हैं कि वे सड़क, गटर, नाली तथा अन्य छोटे मुद्दों के बजाय ''लव जिहाद'' के मुद्दे पर फोकस करें। नलिन कतील के इस बयान पर कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक ही था। कांग्रेस ने कहा है कि यह इस बात का सबूत है कि सत्तारूढ़ भाजपा चुनावी लाभ के लिये तथा शासन के मोर्चे पर अपनी घोर असफलता से लोगों का ध्यान हटाने के लिये साम्प्रदायिक तनाव एवं झगड़ों का माहौल बना रही है।

भाजपा के प्रांतीय अध्यक्ष ने ''लव जिहाद'' संबंधी यह टिप्पणी सोमवार को पार्टी के एक कार्यक्रम ''बूथ विजय अभियान'' के दौरान की। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा, ''आप लोगों से मेरा कहना है कि सड़क एवं सीवेज जैसे छोटे-मोटे मुद्दों के बारे में मत बोलिये। अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिन्ता है और अगर आप ''लव जिहाद'' को रोकना चाहते हैं, तो इसके लिये हमको भाजपा की जरूरत है। ''लव जिहाद'' से छुटकारा पाने के लिये, हमें भाजपा की जरूरत है। उन्होंने अपने भाषण में यह बात बूथ-लेवल के कार्यकर्ताओं को प्रेरित-उत्साहित करने के उद्देश्य से कही।

भाजपा अध्यक्ष की इस टिप्पणी जो तीखी प्रतिक्रिया कांग्रेस की ओर से आई है, उसमें कहा गया है कि यह सलाह किसी पार्टी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को दी गई निकृष्टतम संभव सलाह है तथा इससे समाज धुव्रीकृत होगा। दरअसल, कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने भाजपा नेता की वीडियो क्लिप ट्वीट की है तथा कहा है, ... राज्य का विकास, रोजगार तथा शिक्षा छोटे मुद्दे हैं। यह शर्मनाक ही है कि भाजपा ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि विकास के बारे में बात ही नहीं करें, जो कि हुआ ही नाममात्र है।''

के.पी.सी.सी. अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार ने कहा, ''यह निकृष्टतम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भूंगरा हादसे पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया

जोधपुर , (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने भूंगरा में हुए गैस गैस सिलैंडर विस्फोट मामले स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

न्यायाधीश संदीप मेहता व

- **जोधपुर के भूंगरा गांव में गैस सिलैण्डर विस्फोट पर स्वतः संज्ञान लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया और पूछा कि, गत 5 सालों में ऐसे मामलों में पीड़ितों के परिजनों को क्या-क्या लाभ दिए गये हैं।**

न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने एकलपीठ के जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत के दिए आदेश पर जनहित याचिका दायर कर नोटिस जारी किया है। भूंगरा गैस कांड में मृतकों के परिजनों को अधिक मुआवजे के साथ नौकरी देने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ओ.बी.सी. आरक्षण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की बड़ी जीत

- **इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शहरी निकाय चुनाव में ओ.बी.सी. आरक्षण पर रोक लगाने और जल्द से जल्द चुनाव करवाने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है।**
- **हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यू.पी. सरकार व राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।**
- **सुप्रीम कोर्ट ने यू.पी. सरकार को स्थानीय निकाय चुनाव तीन माह देर से करवाने की अनुमति दी और कहा कि, जिन निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, उनका प्रशासन कानून के अनुसार अधिकारी देखेंगे।**

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 जनवरी। योगी सरकार की एक बड़ी जीत के अन्तर्गत, सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ओ.बी.सी. को आरक्षण दिये जाने के मामले में दिए गए आदेश पर स्टे लगा दिया।

सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर एवं पी.एस. नरसिम्हा की बैंच की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार तथा यू.पी. स्टेट इलैक्शन कमीशन द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर आया है। बुधवार को हुई सुनवाई के साथ ही, न्यायमूर्ति नज़ीर सेवानिवृत्त हो गये।

27 दिसम्बर को, उच्च न्यायालय की लखनऊ बैंच ने राज्य सरकार से कहा था कि वह ओ.बी.सी. को सीटों में आरक्षण दिये बिना, 31 जनवरी तक चुनाव करा दे।

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश को यह अनुमति दे दी कि वह स्थानीय निकायों के चुनावों को तीन माह तक विलम्ब कर सकता है क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग ने अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं की है। इस बीच, स्थानीय निकायों, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, की व्यवस्थाएँ, कानूनी प्रावधानों के अनुसार, सरकारी अधिकारी सँभालेंगे। बैंच ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से कहा है कि वह स्थानीय निकायों में ओ.बी.सी. को कोटा देने के लिये ओ.बी.सी. के राजनैतिक पिछड़ेपन पर अपनी रिपोर्ट 31 मार्च तक प्रस्तुत कर दे।

यह आदेश पारित किये जाने से पहले, राज्य ने अदालत से कहा था कि अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची परिवर्तित नहीं की जा रही है तथा इस सूची में पहले से मौजूद समुदायों के ही राजनैतिक पिछड़ेपन पर विचार किया जायेगा।

जहाँ योगी सरकार 29 दिसम्बर को सर्वोच्च न्यायालय चली गई थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'काओ सैस से प्राप्त 1100 करोड़ रू. का क्या किया'

जयपुर, 4 जनवरी (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में गायों के संरक्षण और आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं से जुडे मामले में मुख्य सचिव, ए.सी.एस. गृह, ए.सी.एस. सड़क परिवहन और प्रमुख वन सचिव सहित अन्य से जवाब मांगा है। अदालत

- **राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि, काओ सैस (कर) के रूप में वसूले 1100 करोड़ रूपयों का गौवंश के हित में क्या उपयोग किया गया है।**

ने पूछा है कि काओ सैस (कर) के जरिए एकत्रित किए गए करीब 1100 करोड रुपए का गायों के संरक्षण के लिए क्या उपयोग किया गया। चीफ जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पार्षद लक्ष्मण

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'130 करोड़ लोगों के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रैस स्वतंत्रता जैसी कोई चीज़ नहीं है'

वॉशिंगटन पोस्ट की खोजी पत्रकार और स्तम्भकार राना अय्यूब ने कहा कि, देश का मीडिया सरकार के झूठ का प्रचार करने में लगा है

- **राना अय्यूब ने यह टिप्पणी अमेरिका के नैशनल पब्लिक रेडियो के कार्यक्रम ''मॉर्निंग एडीशन'' के दौरान की और कहा वर्ल्ड प्रैस इण्डैक्स में भारत की रेटिंग 180 देशों में 150वें नम्बर पर आ गई है।**
- **राना अय्यूब पूर्व में तहलका की संपादक थीं और ''गुजरात फाइल्स एनैटमी ऑफ अ कवरअप'' किताब की लेखिका भी हैं। उनकी यह किताब काफी विवादास्पद रही है।**

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 जनवरी। ''एक अरब 30 करोड़ लोगों वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में प्रैस की स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यधारा का अधिकांश मीडिया वास्तव में सरकार की झूठ को दोहरा रहा है और जो स्वतंत्र और आलोचक प्रवृति के हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है।''

यह कहा है, राना अय्यूब ने, जो कि एक अदम्य और निर्भीक पत्रकार है और जिन्होंने देश के दक्षिण पंथ राजनेताओं द्वारा मौत तथा उत्पीड़न की बेलगाम धमकियों के साए में रहने के बावजूद भारत में प्रैस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का झंडा उठा लिया है।

राना, वॉशिंटगन पोस्ट अखबार में खोजी पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं और ''गुजरात फाइल्स'' एनैटमी ऑफ अ कवरअप'' नामक विवादित पुस्तक की लेखिका हैं। इससे पहले वह ''तहलका'' में संपादक थीं। उन्होंने धार्मिक हिंसा, सरकार द्वारा की गईं न्याय के अंतर्गत ना आने वाली हत्याओं और राजद्रोह के बारे में गहन रिपोर्टिंग की है।

उन्होंने अमेरिका के नैशनल पब्लिक रेडियो (एन.पी.आर.) के ''मॉर्निंग एडीशन'' के होस्ट ए. मार्टिनेज़ को बताया कि ''मुख्यधारा का अधिकांश मीडिया वस्तुतः सरकार के झूठ को दोहरा रहा है और जो लोग स्वतंत्र मीडिया कर्मी हैं और सरकार के आलोचक हैं, वे उसकी कीमत चुका रहे हैं।'' रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स के अनुसार ''180 देशों के वर्ल्ड प्रैस सूचकांक में भारत की रैंकिंग गिरकर 150 पर आ गई है।''

मार्च 2022 में अय्यूब को मुम्बई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। वह लंदन जाने वाली फ्लाइट में बैठने वाली थीं। लंदन में उन्हें महिला पत्रकारों के विरूद्ध ऑनलाइन हिंसा विषय पर भाषण देना था। कार्यक्रम का आयोजन इन्टरनैशनल सैन्टर फॉर जर्नलिस्ट्स की ओर से किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें देश से बाहर जाने से रोका था क्योंकि उनके खिलाफ कथित वित्तीय अपराधों को लेकर जांच चल रही थी।

भारत का एन्फोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ई.डी.), जिसका काम देश के आर्थिक कानूनों को लागू करने का है, ने अय्यूब के विरूद्ध अक्टूबर में मनी लॉंड्रिंग का केस दर्ज किया था। ई.डी. का आरोप है कि अय्यूब ने स्वयं के लिए सार्वजनिक रूप से फण्ड्स जुटाकर 3 लाख 24

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एकल पट्टा प्रकरण में हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

जयपुर, 4 जनवरी (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एकल पट्टा प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध लंबित मुकदमे को वापस लेने की अनुमति नहीं देने के एसीबी कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार, पूर्व आईएएस जीएस संधू, निष्काम दिवाकर और ओंकार मल सैनी की आपराधिक याचिकाओं पर दिए।

आरोपियों की ओर से अधिवक्ता एसएस होरा और अधिवक्ता पंकज गुप्ता सहित अन्य ने बताया कि एसीबी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)